Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 113-2017/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JUNE 30, 2017 (ASADHA 8, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक जून 30, 2017

संख्या 38/एसटी-2 -- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ऐसे माल की प्रदाय को विनिर्दिष्ट करते हैं, जिसका वर्णन नीचे सारणी के खाना (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सारणी के खाना (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत आती है, और जिसकी प्रदाय खाना (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा की गई है, जिसकी बाबत राज्य कर खाना (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे माल की राज्य के भीतर प्रदाय के प्रापक द्वारा प्रतिलोम प्रभार आधार पर भुगतान किया जाएगा और उक्त अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्रापक को लागू होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम संख्या	टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल की पूर्ति का विवरण	माल का पूर्तिकार	पूर्ति का प्राप्तिकर्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0801	काजू, जिनका छिलका नहीं निकाला गया है या जिन्हें	कृषिक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति

		छिला नहीं गया है		
2.	1404 90 10	बीड़ी लपेटने वाले पत्ते (तेन्दू)	कृषिक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
3.	2401	तंबाकू के पत्ते	कृषिक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
4.	5004 से 5006	रेशम सूत	कोई व्यक्ति, जो रेशम सूत की प्रदाय के लिए कच्चे रेशम या रेशम कीट कोया से रेशम सूत का विनिर्माण करता है	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
5.	-	लाटरी की प्रदाय	राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या कोई स्थानीय प्राधिकारी	लाटरी वितरक या उसका विक्रय करने वाला अभिकर्ता । व्याख्या--इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, लाटरी वितरक या उसका विक्रय करने वाला अभिकर्ता का वही अर्थ है, जो उनका लाटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1998 का 17) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन बनाए गए लाटरी (विनियमन) नियम, 2010 के नियम 2 के खंड (ग) में है ।

व्याख्या -

(1) इस सारणी में, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से अभिप्राय है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय ।

(2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची, जिसमें प्रथम अनुसूची के खंड और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी शामिल हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे ।

2. यह अधिसूचना जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगी ।

संजीव कौशल

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,

आबकारी तथा कराधान विभाग ।